

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल

:: आदेश ::

दिनांक .08.2016

क्रमांक 138 /2845 /21-अ(स्था.) /गोप./2016, विभागीय आदेश क्र.1358 /21-अ(स्था.), दिनांक 29.03.2011, आदेश क्र. 1119 /21-अ(स्था.), दिनांक 29.02.2012 और आदेश क्र. 2392 /21-अ(स्था.), दिनांक 24.04.2013 के अनुक्रम में विभाग में पदस्थ निम्नलिखित शासकीय सेवकों की दो वर्ष की परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप, स्थायी पद उपलब्ध होने से उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गये पद एवं स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उनका स्थायीकरण किया जाता है:-

क्र.	शासकीय सेवक का नाम	पदनाम	वर्तमान पद स्थापना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	श्री शैलेन्द्र शर्मा	अनुवादक	विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल
2.	श्री जाहिरलाल अहिरवार	अनुवादक	विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल
3.	श्री राहुल कुमार शर्मा	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	अति. महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर
4.	श्री तोपान सिंह सहेरिया	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल

उपरोक्त समस्त शासकीय सेवकों की आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष पश्चात् नियमानुसार देय होगी तथा स्थायीकरण किये जाने से वर्तमान संवर्ग की वरियता में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(विरेन्दर सिंह)

प्रमुख सचिव,

म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल

पृ.क्र. /2845 /21-अ(स्था.) /गोप./2016,

भोपाल, दिनांक .08.2016

प्रतिलिपि:-

1. अति. महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर,
2. प्रशासकीय अधिकारी (स्थापना) /आहरण एवं संवितरण अधिकारी, विधि विभाग,
3. संबंधित शासकीय सेवक..... विधि विभाग, भोपाल /अति. महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर
4. संबंधित लिपिक /पे-बिल /सेवापुस्तिका /व्यक्तिगत नस्ती की ओर प्रविष्टी हेतु एवं आई.टी. प्रकोष्ठ की ओर विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

(आर.के.  3111)

सचिव,

म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल

:: आदेश ::

दिनांक 22.08.2016

क्र. 137 / 2845 / 21-अ(स्था.) / गोप. / 2016, विभागीय आदेश क्र. 1415 / 21-अ(स्था.), दिनांक 02.03.2013 के अनुक्रम में नियमित आकस्मिकता के पद पर नियुक्त निम्नलिखित शासकीय सेवकों की दो वर्ष की परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप उनकी परीक्षा अवधि समाप्त की जाती है।

1. श्री बालाप्रसाद अहिरवार, वाटरमेन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल

2. श्री किशोर घमोरे, चौकीदार, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल

उक्त दोनों शासकीय सेवकों की आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष पश्चात् नियमानुसार देय होगी तथा इस आदेश से उनके वर्तमान संवर्ग की वरियता में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

(विरेंद्र सिंह)

प्रमुख सचिव,

म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल

पृ.क्र. / 2845 / 21-अ(स्था.) / गोप. / 2016,

भोपाल, दिनांक 08.2016

प्रतिलिपि:-

1. प्रशासकीय अधिकारी (स्थापना) / आहरण एवं संवितरण अधिकारी,
2. संबंधित शासकीय सेवक.....
3. संबंधित लिपिक / पे-बिल / सेवापुस्तिका / व्यक्तिगत नस्ती की ओर प्रविष्टि हेतु एवं आई.टी. प्रकोष्ठ की ओर विभागीय पोर्टल पर अपलोड करने हेतु, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

(आर.क. पाणी)

सचिव,

म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल